भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3812

(11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

वीबी-जी राम-जी योजना हेतु निधि

3812. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण (वीबी-जी राम-जी) योजना के लिए विकसित भारत कार्यान्वयन ढांचे, संचालन दिशानिर्देशों और वित्तपोषण मानकों को अधिसूचित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या, गरीबी स्तर, बेरोजगारी, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, भौगोलिक प्रतिकूलता और मजदूरी रोजगार की मांग सहित मानक आवंटन निर्धारित करने के लिए अपनाए गए राज्य-वार और जिला-वार मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या पूर्ववर्ती महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत प्रदान किए गए मांग-आधारित रोजगार और वीबी-जी राम जी के अंतर्गत प्रस्तावित मानक आवंटन के बीच अंतर का कोई आकलन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आवंटन सूत्र और कार्यान्वयन ढांचे के लिए राज्यों से परामर्श किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि मानक आवंटन या बजटीय अधिकतम सीमा समाप्त होने के कारण पात्र ग्रामीण परिवारों को रोजगार या आजीविका सहायता से वंचित न किया जाए?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 के अधिनियमन के फलस्वरूप, यह योजना 1 जुलाई, 2026 से देश के

संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना को अधिसूचित कर दिया है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इच्छुक परिवारों को रोजगार प्रदान करते हुए वीबी-जी राम जी के अंतर्गत कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। महात्मा गांधी नरेगा से वीबी-जी राम जी में परिवर्तन सुचारू, निर्बाध और श्रमिक-केंद्रित रहा है। देश में योजना के क्रियान्वयन के लगभग एक माह के भीतर ही 9.69 करोड़ से अधिक श्रम दिवस सृजित किए गए हैं। विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 की धारा 33 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, मंत्रालय ने पहले ही आठ प्रारूप नियम तैयार कर लिए हैं और राज्य सरकारों तथा आम जन सहित सभी हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित करते हुए इन्हें ई-गजट में प्रकाशित किया है। इसमें वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के अंतर्गत "मानक आवंटन नियमों हेतु उद्देश्यपरक मानदंड" भी शामिल हैं। हितधारकों से प्राप्त सुझावों/आपत्तियों की जांच और विचार करने के बाद, मंत्रालय ने वीबी-जी राम जी के नए ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित 4 नियमों को पहले ही अधिसूचित कर दिया है:

i. विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत संक्रमणकालीन प्रावधान: वीबी-जी राम जी नियम, 2026.
ii. विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी - प्रशासनिक व्यय नियम, 2026.
iii. विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी, मजदूरी और बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की पद्धति नियम, 2026.
iv. विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी- मानक आवंटन से अधिक राज्य द्वारा किए गए व्यय की पद्धति एवं प्रक्रिया तथा विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र के लिए योजना के व्यय संबंधी नियम, 2026.

चूंकि मानक आवंटन हेतु उद्देश्यपरक मानदंड निर्धारित करने वाला अधीनस्थ विधान अभी प्रक्रियाधीन है, अतः ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन में निरंतरता, अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक हकदारियों एवं गारंटियों के निर्बाध निर्वहन, तथा अधिनियम के प्रारंभ से ही निधियों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक अंतरिम वित्तीय व्यवस्था के रूप में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरिम निधि आवंटन किया है।

(ग) से (ङ): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 अधिनियम एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल

शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, को एक सौ पच्चीस दिनों के मजदूरी रोजगार की सांविधिक गारंटी प्रदान करता है। मंत्रालय योजना के क्रियान्वयन से संबंधित मामलों के लिए स्थापित संस्थागत तंत्र के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर संपर्क में है।

वीबी-जी राम जी एक मांग-आधारित कार्यक्रम है, और रोजगार की मांग करने वाले प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण परिवार का सांविधिक अधिकार वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के अंतर्गत पूर्णतः संरक्षित है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। सुचारू क्रियान्वयन को सुगम बनाने हेतु, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 (01.07.2026 से 31.03.2027 की अवधि के लिए) हेतु ₹95,692.31 करोड़ का अंतरिम आवंटन किया है, जो देश में किसी भी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हेतु बजट अनुमान (बीई) चरण में किए गए अब तक के सर्वाधिक आवंटनों में से एक है। राज्य के समतुल्य अंश सहित, वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान कुल कार्यक्रम परिव्यय के ₹1.51 लाख करोड़ से अधिक होने की संभावना है। यह अंतरिम मानक आवंटन निधियों की समय पर उपलब्धता और कार्यक्रम के निर्बाध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि जहां सांविधिक रोजगार गारंटी प्रदान करने हेतु किया गया व्यय अनुमोदित मानक आवंटन से अधिक हो जाता है, वहां अतिरिक्त आवश्यकता संबंधित राज्य सरकार द्वारा पूरी की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इच्छुक ग्रामीण परिवारों की हकदारी अनुमोदित आवंटन द्वारा सीमित न हो। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों और अन्य असाधारण परिस्थितियों हेतु सक्षमकारी प्रावधान शामिल हैं, जिनके अंतर्गत, राज्य सरकार के अनुरोध पर, केंद्र सरकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त परिचालनगत छूट प्रदान कर सकती है, जिसमें इस अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार, अनुमेय कार्यों का अस्थायी विस्तार, प्रक्रियागत अपेक्षाओं में छूट और प्रभावित परिवारों को बढ़ी हुई रोजगार सहायता शामिल है।

इसके अतिरिक्त, जहां निर्धारित अवधि के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, वहां संबंधित परिवार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। ये प्रावधान सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक रोजगार गारंटी पूर्णतः संरक्षित रहे।